तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./7405/2018/प्रतापगढ** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम गोलीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री तेजेन्द्र सिंह, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थि। -- **आदेश** **दिनांकः-13.08.2025** 1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 कलक्टर प्रतापगढ ने पत्रावली संख्या 58/2009 में अपने आदेश दिनांक 24-02-2009 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2. रेफरेन्स प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार भू0अ0 धरियावद ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुणीया का वर्तमान खसरा नम्बर 660/215 रकबा 3 बिस्वा का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। उपरोक्त वर्णित वर्तमान खसरा नम्बर सन् 1947 में गत सेटलमेण्ट जमाबंदी अनुसार साबिक नम्बर 215 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा होकर भूमि कि किस्म नाला नाली थी। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 660/215 रकबा 3 बिस्वा नामांतरकरण संख्या 184 दिनांक 06-05-70 द्वारा आवंटन/नियमन से विपक्षीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./7405/2018/प्रतापगढ</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम गोलीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 02-08-2004 द्वारा दिनांक 15-08-1947 को राजस्व रिकार्ड में जो भूमि किस्म नदी, नाले, नाडी, तालाब आदि दर्ज है और उसमें सन् 1947 के पश्चात् जो परिवर्तन हुए है उन्हें अवैध घोषित कर सन् 1947 की स्थिति पुनः बहाल करने के निर्देश है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। 3. न्यायालय अति0जिला कलक्टर प्रतापगढ ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 24-02-2009 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4. विपक्षीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किये 45 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आवंटन/हस्तांतरण/नामांतकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./7405/2018/प्रतापगढ</u>
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम गोलीया</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>रिकोर्ड में पेटा, नदी नाले, रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

6- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ मौका पर्चा पटवारी हल्का संलग्न है। नकल जमाबंदी मेवाड सेटलमेण्ट डिपार्टमेण्ट सम्वत् 2007 संलग्न है जिसके अनुसार मौजा मूणिया तहसील लसाडिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला-नाली दर्ज होना अंकित है। नकल नामांतरकरण संख्या 184 संलग्न है। नकल जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2057-60 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 660/215 रकबा 3 बिस्वा भूमि गोलिया पिता नादिया मीणा की गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में नाला-नाली दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई।

7- राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गै0मु0 तालाब/नाला/नदी'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः-

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

8. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./7405/2018/प्रतापगढ** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम गोलीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9. प्रश्नगत भूमि पूर्व में नाला–नाली की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

10. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./7405/2018/प्रतापगढ** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम गोलीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रतापगढ द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। 11- परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धरियावद के आवंटन/नियमन आदेश तथा इंतकाल संख्या 184 दिनांक 06-05-70 मौजा मुणीया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि को पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला-नाली दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। 12- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	